

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-02/2015/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

निदेशक,

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नवादा, नालन्दा, बक्सर, मुंगेर, प० चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, गोपालगंज, शेखपुरा एवं कटिहार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/ गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि 1983868/- (उन्नीस लाख तिरासी हजार आठ सौ अड़सठ) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. उक्त पत्र के आलोक में 01 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से गैर योजना मद के अन्तर्गत राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. कंडिका-3(2) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, 0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454021110001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 12 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार, पटना होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के दायित्वों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवंटन से किया जाय।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक ...../पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक .....34...../पटना, दिनांक ..16-03-2016.....

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

16/3/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111-जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, उप शीर्ष- 0001- सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी। मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- N/3454021110001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भता	01-04 भकान किराया भता	01-05 परिवहन भता	01-06 चिकित्सा भता	01-07 अन्य भता	योग- वेतन एवं भते	06-01 चिकित्सा प्रतिभूति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	कुल योग
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जिला सांख्यिकी कार्यालय																
1	पटना	102000	100000	10000	2000	3600	1000	214000	-	-	-	-	-	-	-	214000
2	नवादा	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	-	-	-	20000
3	नोलन्दा	318000	429960	42800	-	3600	1000	795360	-	-	-	-	-	-	-	795360
4	बक्सर	1386	1027	130	-	-	-	2543	-	-	-	-	-	-	-	2543
5	मुरौर	-	70596	3668	-	-	-	74264	-	-	-	-	-	-	-	74264
6	परिचम चम्पारण	-	26863	-	-	-	-	26863	-	-	-	-	-	-	-	26863
7	मधुबनी	82000	105780	8200	800	-	-	196780	-	-	-	-	-	-	-	196780
8	समस्तीपुर	138456	167919	13426	3245	-	-	323046	-	-	-	-	-	-	-	323046
9	बैगूसराय	93860	89002	9386	1000	-	-	193248	-	-	-	-	-	-	-	193248
10	गोपालगंज	21130	25145	2113	200	-	-	48588	-	-	-	-	-	-	-	48588
11	रोखपुरा	-	8000	1100	-	-	-	9100	-	-	-	-	-	-	-	9100
12	कटिहार	-	80076	-	-	-	-	80076	-	-	-	-	-	-	-	80076
कुल योग:-		756832	1104368	90823	0	10845	1000	1963868	20000	0	0	0	0	0	0	1983868

(उन्नीस लाख तिरासी हजार आठ सौ अड़सठ) रुपये मात्र ।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक

16/2/16